न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 04 / 2025

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 हेतुदान पुत्र गोरधनदान चारण निवासी सुरा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर दूदाबेरी 2 इलमदीन 2 कुरबान अली पिसरान मतार खां 4 कंवर बाई पत्नी मतार खां 5 खमीशा खान 6 गुलाम अली 7 बिलाल खां 8 मोहम्मद इदरीस 9 समदा खां पिसरान मतारा खां जाति मुसलमान निवासी दूदाबेरी 10 गेरोदेवी पत्नी खेताराम जाति जाट 11 पदमदान 12 सतीदान 13 सांगीदान पिसरान अनोपदान जाति चारण निवासी अबड़ासर पटवार हल्का दूदाबेरी तहसील व जिला बाडमेर 14 सीतादेवी पत्नी चुतरदान चारण निवासी झणकली जिला बाडमेर 15 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री पवन सिंघल, वकील अपीलकर्ता।

2 श्री हितेष कुमार गोयल, वकील उतरदाता संख्या 02 से 14।

आदेश

दिनांक 08/07/2025

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि मौजा सोखरू वर्तमान ग्राम अबडासर मूल खसरा नंबर 38 वर्तमान खसरा नंबर 341/38 में अपने 1/2 हिस्से में से 1/10 हिस्सा अर्थात कुल रकबा 436 बीघा 6 बिस्वा का 1/20 हिस्सा भूमि रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा जो जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र मतारा पुत्र छता जो उत्तरदाता संख्या 2 से 9 के पिता व पति के पक्ष में किया गया था और उक्त बेचान का जो नामान्तरण उतरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तरण संख्या 362 खोला गया उसमें उतरदाता संख्या 01 द्वारा मतारा पुत्र छता खां के पक्ष में अपीलान्ट की बेचान की गई भूमि सम्पूर्ण रकबे में 1/20 हिस्सा (रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा) के स्थान पर मतारा के नाम खसरा नंबर 38 के कुल रकबे 436 बीघा 6 बिस्वा का 1/10 हिस्सा अर्थात 43 बीघा 6 बिस्वा का नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 15.06.1999 को पारित कर दिया और मतारा पुत्र छता के नाम राजस्व रेकर्ड में खरीदसुदा भूमि 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 43 बीघा 6 बिस्वा का नामान्तरण पारित कर खातेदारी प्रदान कर दी। जिसमें उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलान्ट की बेचान की गई भूमि के पंजीबद्ध बेचान के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 15.06.1999 को पारित करते समय विधि एवं तथ्यों की भारी भूल विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना अपीलान्ट की खातेदारी भूमि जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा था और उसमें से अपीलान्ट ने मतारा पुत्र छता को अपने 1/2 हिस्से में से 1/10 अर्थात 1/20 हिस्सा रकबा 21 बीघा 16

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

बिस्वा का बेचान मतारा पुत्र छता को किया था लेकिन उतरदाता संख्या 01 ने अपीलान्ट द्वारा मतारा के पक्ष में निष्पादित बेचान को व खसरा नंबर 38 मौजा सोखरू वर्तमान ग्राम अबडासर के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान/खातेदारान के हिस्से की जांच किए बिना विधि विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा बेचान की गई भूमि 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर मतारा पुत्र छता के नाम नामान्तरण संख्या 362 पारित कर 43 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया और 43 बीघा 6 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार मतारा पुत्र छता को प्रदत्त कर दिये, जबकि मतारा पुत्र छता को उसकी खरीदसुदा भूमि 21 बीघा 16 बिस्वा से अधिक खातेदारी अधिकार खसरा नंबर 38 के सम्पूर्ण रकबे 436 बीघा 6 बिस्वा में 1/10 हिस्से अर्थात 43 बीघा 6 बिस्वा बाबत प्रदत्त किये हैं वो प्रदत्त करने और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भूमि राजस्व रेकर्ड मे मतारा पुत्र छता के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 15.06.1999 पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट इसी भ्रम में रहा कि मतारा पुत्र छता द्वारा खसरा नंबर 38 के कुल रकबा 436 बीघा 6 बिस्वा में से 1/20 हिस्सा भूमि रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि का ही नामान्तरण उसने अपने पक्ष में उतरदाता संख्या 01 के जरिये स्वीकृत करवाया होगा और अपीलान्ट आज दिन तक इसी विश्वास में रहा लेकिन उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर व खसरा नंबर 38 के राजस्व रेकर्ड व अपीलान्ट द्वारा किये गये बेचान की जांच किए बिना उत्तरदाता उतरदाता संख्या 01 ने मतारा पुत्र छता के नाम राजस्व रेकर्ड में 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 43 बीघा 6 बिस्वा भूमि गलत तरीके से जरिये नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 15.06.1999 के इन्द्राज कर दी और उसकी जानकारी न तो उतरदाता संख्या 01 ने आज दिन तक दी और न ही मतारा पुत्र छता के वारिस उत्तरदाता संख्या 2 से 9 ने अपीलान्ट को होने दी और अपीलान्ट आज दिन तक मतारा पुत्र छता को बेचान की गई भूमि 21 बीघा 16 बिस्वा में से शेष रही भूमि पर आज भी काबिज है व अपनी काष्त कर रहा है। गलत नामान्तरण के आधार पर इन्द्राज भूमि और राजस्व रेकर्ड के आधार पर 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 43 बीघा 6 बिस्वा भूमि में व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया तब अपील प्रस्तुत करने से अरसा 8–10 दिन पूर्व अपीलान्ट को यह तथ्य ज्ञान में आया कि उतरदाता संख्या 01 ने खसरा नंबर 38 में अपीलान्ट द्वारा अपने 1/2 हिस्से में से 1/10 हिस्से की भूमि अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/20 हिस्सा भूमि का जो बेचान दिनांक 18.05.1999 को मतारा पुत्र छता के नाम किया था उसके आधार पर जो नामान्तरण 362 उतरदाता संख्या 01 ने स्वीकृत किया उसमें मतारा पुत्र छता के नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 38 में बेचान की गई 1/20 हिस्से की भूमि रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर सम्पूर्ण रकबे का 1/10 हिस्सा अर्थात 43 बीघा 6 बिस्वा का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरण उतरदाता संख्या 01 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की जांच किए बिना व अपीलान्ट द्वारा मतारा पुत्र छता को किए गये बेचान मे बेची गई भूमि के रकबे की जांच किए बिना व सम्पूर्ण हिस्से की जांच किए बिना अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त आलोच्य नामान्तरण पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपील अन्दर म्याद अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 362 आदेश दिनांक 15.06.1999 जो उतरदाता संख्या 01 द्वारा खसरा नंबर 38 रकबा 436 बीघा 6 बिस्वा (वर्तमान खसरा नंबर 341/38 रकबा 70.6256 हैक्टेयर) मौजा सोखरू वर्तमान राजस्व ग्राम अबडासर में से खरीदसुदा भूमि 21 बीघा 16 बिस्वा (कुल भूमि का 1/20 हिस्सा) पंजीयन दिनांक 18.05.199 पंजीयन क्रमांक 305/99 की भूमि का नामान्तरण खरीदसुदा 21 बीघा 16 बीघा (कुल भूमि का 1/20 हिस्सा) के स्थान पर 43 बीघा 06 बिस्वा (कुल भूमि का 1/10 हिस्सा) कर देने के नामान्तरण को अपास्त कर एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरण कार्यवाही जो उत्तरदाता संख्या 2 से 9 ने अपने पिता, पति मतारा पुत्र छता खां के निधन के पश्चात पारित करवाकर राजस्व रेकर्ड में अपने पूर्वज के द्वारा खरीद की गई भूमि का नामान्तरण अपने पक्ष में स्वीकृत करवाया है को अपास्त करने का आदेष फरमावें एवम मतारा पुत्र छता खां द्वारा अपीलान्ट से क्रय की गई वास्तविक खरीदसुदा भूमि 21 बीघा 16 बिस्वा (कुल भूमि का 1/20 हिस्सा) ही राजस्व रेकर्ड में उत्तरदाता संख्या 2 से 9 के नाम इन्द्राज करने का आदेश फरमावे एवम नामान्तरण संख्या 362 में खरीदसुदा भूमि 1/20 हिस्सा (21 बीघा 16 बिस्वा) से अधिक भूमि 21 बीघा 16 बिस्वा पुनः अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश फरमावें।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील उतरदाता संख्या 02 से 14 उपस्थित। शेष उतरदातागण ईकतरफा। वकील उतदाता संख्या 02 से 14 जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते लिहाज वकील उतरदात संख्या 02 से 14 का जवाब बन्द किया जाता है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए अवगत करवाया किअपीलान्ट इसी भ्रम में रहा कि मतारा पुत्र छता द्वारा खसरा नंबर 38 के कुल रकबा 436 बीघा 6 बिस्वा में से 1/20 हिस्सा भूमि रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि का ही नामान्तरण उसने अपने पक्ष में उतरदाता संख्या 01 के जरिये स्वीकृत करवाया होगा और अपीलान्ट आज दिन तक इसी विष्वास में रहा लेकिन उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर व खसरा नंबर 38 के राजस्व रेकर्ड व अपीलान्ट द्वारा किये गये बेचान की जांच किए बिना उत्तरदाता उतरदाता संख्या 01 ने मतारा पुत्र छता के नाम राजस्व रेकर्ड में 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 43 बीघा 6 बिस्वा भूमि गलत तरीके से जरिये नामान्तरण संख्या 362 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

15.06.1999 के इन्द्राज कर दी और उसकी जानकारी न तो उतरदाता संख्या 01 ने आज दिन तक दी और न ही मतारा पुत्र छता के वारिस उत्तरदाता संख्या 2 से 9 ने अपीलान्ट को होने दी और अपीलान्ट आज दिन तक मतारा पुत्र छता को वेचान की गई भूमि 21 बीघा 16 बिस्वा में से शेष रही भूमि पर आज भी काबिज है व अपनी काप्त कर रहा है। गलत नामान्तरण के आधार पर इन्द्राज भूमि और राजस्व रेकर्ड के आधार पर 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 43 बीघा 6 बिस्वा भूमि में व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया तब अपील प्रस्तुत करने से अरसा 8–10 दिन पूर्व अपीलान्ट को यह तथ्य ज्ञान में आया कि उतरदाता संख्या 01 ने खसरा नंबर 38 में अपीलान्ट द्वारा अपने 1/2 हिस्से में से 1/10 हिस्से की भूमि अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/20 हिस्सा भूमि का जो बेचान दिनांक 18.05.1999 को मतारा पुत्र छता के नाम किया था उसके आधार पर जो नामान्तरण 362 उतरदाता संख्या 01 ने स्वीकृत किया उसमें मतारा पुत्र छता के नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 38 में बेचान की गई 1/20 हिस्से की भूमि रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर सम्पूर्ण रकबे का 1/10 हिस्सा अर्थात 43 बीघा 6 बिस्वा का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरण उतरदाता संख्या 01 द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की जांच किए बिना व अपीलान्ट द्वारा मतारा पुत्र छता को किए गये बेचान मे बेची गई भूमि के रकबे की जांच किए बिना व सम्पूर्ण हिस्से की जांच किए बिना अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त आलोच्य नामान्तरण पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील की गई है। अपील अन्दर म्याद सुमार कर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

वकील उतरदाता संख्या 02 से 14 ने बहस कर निवेदन किया की अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद में सुमार कर स्वीकार की जाती है तो उतरदाता संख्या 02 से 14 को कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता से अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि नामान्तरण 362 उतरदाता संख्या 01 ने स्वीकृत किया उसमें मतारा पुत्र छता के नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 38 में बेचान की गई 1/20 हिस्से की भूमि रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर सम्पूर्ण रकबे का 1/10 हिस्सा अर्थात 43 बीघा 6 बिस्वा का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरण उतरदाता संख्या 01 द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की जांच किए बिना व अपीलान्ट द्वारा मतारा पुत्र छता को किए गये बेचान मे बेची गई भूमि के रकबे की जांच किए बिना व सम्पूर्ण हिस्से की जांच किए बिना अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त आलोच्य नामान्तरण पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी

अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा सोखरू वर्तमान ग्राम अबडासर मूल खसरा नंबर 38 वर्तमान खसरा नंबर 341/38 भूमिमें पारित नामान्तकरण संख्या 362 दिनांक 15.06.1999 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 18.05.1999 की जांच करते हुए बाद जांच नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 08/07/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर